बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय

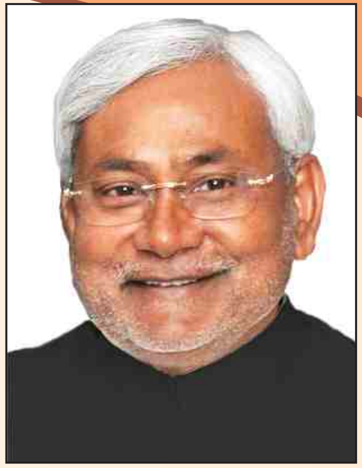
श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

समेकित मुर्गी विकास योजना

लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना

- योजना – लेयर (अण्डा देने वाली मुर्गी) फार्म एवं फीड–मिल (दाना संयंत्र) स्थापना पर व्यय एवं बैंक ऋण ब्याज पर अनुदान की योजना।
- कार्य क्षेत्र – योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में।
- आवेदन – विज्ञापन प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

  इच्छुक किसान/उद्यमी/मुर्गीपालक इस योजना हेतु विभागीय वेबसाईट **www.ahd.bih.nic.in** पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने आधार संख्या/मोबाईल नम्बर से पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन के साथ सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
- चयन – पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभुकों का चयन जिला स्तर की समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त निदेशालय स्तर के समिति द्वारा किया जाएगा।

  पूर्व में लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु विभागीय स्तर से अनुदान प्राप्त किये गये लाभुकों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।
- प्राथमिकताएँ – लाभुक के चयन में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण प्राप्त तथा अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु आवेदक को कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कुक्कुट पालन से संबंधित अन्य कोई प्रमाण पत्र एवं अनुभव संबंधी साक्ष्य जमा करना होगा।
- ऋण/स्वलागत – आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वलागत से फार्म स्थापित कर सकते हैं। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी। स्वलागत की स्थिति में उन्हें ब्याज पर अनुदान देय नहीं होगा।

क्र.	जातिवर्ग	लेयर मुर्गी क्षमता (संख्या)	लक्ष्य 2016–17 (इकाई)	इकाई लागत (लाख रूपये)	लाभुक का अंश (लाख रूपये)	अनुदान			भूमि की आवश्यकता
						इकाई लागत का %	अधिकतम अनुदान (लाख रूपये)	बैंक ऋण के ब्याज पर 4 वर्षों में 50% अनुदान (अधिकतम–लाख रूपये)	
1	अनुसूचित जाति	5000	35	48.00	4.80	40	19.20	3.60	0.50 एकड़
		10000	16	85.00	8.50	40	34.00	6.24	1.00 एकड़
2	अनुसूचित जन जाति	5000	11	48.00	4.80	40	19.20	3.60	0.50 एकड़
		10000	06	85.00	8.50	40	34.00	6.24	1.00 एकड़
3	सामान्य	10000	14	85.00	10.00	30	25.50	7.38	1.00 एकड़

विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश विभाग के वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक, पशुपालन
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना